तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **अमराव सिंह बनाम ओमप्रकाश** **मु.न 2011/00076**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.26	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। अभिभाषक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पर सुना गया।	

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार प्रार्थी के पिता स्व0 श्री धनपत सिंह के नाम से ग्राम नौरंगदेसर के खसरा नंबर 135/2 में 3.6400 हैक्टयर खातेदारी भूमि है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी एकमात्र वारिस है। काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि ख.न 83 में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 01 का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01, प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करना चाहता है। अतः वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी भूमि पर ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत असर पडे।

2. प्रार्थी द्वारा वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा वादगत भूमि ग्राम नौरंगदेसर के खसरा नंबर 135/2 तादादी 3.6400 हैक्टयर भूमि बाबत एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 26.09.2011 को जारी की गई।

3. प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष के उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा के अंतिम निस्तारण हेतु बहस प्रार्थी सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि वादगत भूमि प्रार्थी के पिता की खातेदारी भूमि रही है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी एकमात्र वारिस है। प्रार्थी का कब्जा काश्त है। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल करने की स्थिति में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। ऐसे में वादगत भूमि पर जारी अस्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र के निस्तारण तक यथावत कायम की जावे।

4. **हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के संदर्भ में तीन बिंदु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर विचार किया जाना है।** पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादगत

भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज है, मुताबिक वादपत्र प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी एकमात्र वारिस होने से वादगत भूमि बाबत खातेदारी अधिकार प्रार्थी में निहित हो चुके हैं। प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वादपत्र धारा 188 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया है। वादपत्र का निर्णय गुणावगुण के आधार पर तनकियात कायमी व साक्ष्य लिए जाने उपरांत किया जाना है। वादपत्र के निर्णय से पूर्व वादगत भूमि के रिकॉर्ड व मौका में परिवर्तन से वाद–बाहुल्य की स्थिति उत्पन्न होगी। वादगत भूमि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी भूमि है अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है तथा जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है तो वादग्रस्त भूमि का निस्तारण किए जाने की स्थिति तक अंतरिम अस्थाई निषेंधाज्ञा की अवधि आगे नहीं बढाए जाने की स्थिति में प्रार्थी के हक प्रभावित होंगे व बहुविवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, जो कि न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में मूल प्रकरण के निपटारे तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि कृषि भूमि ग्राम नौरंगदेसर के खसरा नंबर 135/2 में 3.6400 हैक्टयर भूमि पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल प्रकरण दावा के निस्तारण तक यथावत बनाए रखे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार राजस्व बीकानेर को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 08.04.26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(रणजीत कुमार)
आरएएस
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner